

मु. नं० 151/19 T.I. हरियाणा/अधी
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

दिनांक

फर्द अहकाम

23/7/2021 पत्रावली काज जनरल तारीख पेशी से प्राप्त हुई। और सायल से. 1 के अधिवक्ता उपर बार-बार भावाज दिलाने के उपरान्त भी सायल एवं उनके अधिवक्ता उपर नहीं हुए। सायल एवं उनके अधिवक्ता को उपर प्रकरण में धरवी करने के लिए उपस्थित होने हेतु आदेश रूप से नोका दिया जाकर पत्रावली दि० 26/7/2021 को पेश है।

26/7/2021

पत्रावली पेश हुई। सायल वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण में प्रतिवादी वकील उपस्थित। प्रकरण में बार-बार भावाज दिलवायी गयी। सायल वकील के बावजूद सायल व सायल वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण में पूर्व में दिनांक 23-7-2021 को बार-बार भावाज दिलाने के बावजूद भी सायल व सायल वकील उपस्थित नहीं रहे। जिस पर और सायल वकील द्वारा प्रकरण इतना धरवी व इतना धरवी में रतारिज करने का निर्णय किया।

अतः मु. नं० 151/19 T.I. हरियाणा के बराम धूपी मयम हाजरी व इतना धरवी में खारिज किया जा रहा है। पत्रावली के अन्तर्गत धरवी नम्बर 21 समाप्त।

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (करौली)

